न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/23
दायरा तिथि : 01.01.2025
आदेश तिथि : 20-08-2025
प्रार्थी :–

लादूनाथ पुत्र नारायणनाथ जाति कालबेलिया निवासी लालराई तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 20-08-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 1265/1 रकबा 0.21 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 1265 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 1130 रकबा 1.35 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1513/1136 रकबा 0.44 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/2495 दिनांक 08.08.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु उक्त खातेदारी खसरा नंबर 1265/1 में अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता स्त्रोत है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र निकटतम विकल्प है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ते से ही प्रार्थी मौके पर आवागमन हेतु उपयोग में ले रहा है , तथा खसरा नंबर 1130 रकबा 1.3500 हैक्टर किस्म गै.मु.बाली राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, परंतु मौके पर भूमि समतल है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1265	0.0600 हैक्टर	बा.दो.	07X05=35वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	1513/1136	0.4400 हैक्टर	बा.दो.	35X05=175वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख बाली द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,36,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रार्थी ने खसरा नंबर 1130 गै.मु.वाली में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने एवं प्राकृतिक बहाव को नहीं रोकने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/23

अनवान लादूनाथ बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 1265/1 रकबा 0.21 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 1265/1 रकबा 0.21 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 1265 रकबा 0.0600 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1513/1136 रकबा 0.4400 हैक्टर में से **35+175=210 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 2,36,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1265	0.0600 हैक्टर	07X05=35 वर्गमीटर	24	840X2=1680	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
1513/1136	0.4400 हैक्टर	35X05=175 वर्गमीटर	24	4200X2=8400	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 10080/– (अक्षरे दस हजार अस्सी रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर रेकर्ड से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/ दिनांक : 26/08/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकरं राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बाली
3. पटवारी हल्का, सेसली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक लादूनाथ पुत्र नारायणनाथ जाति कालबेलिया निवासी लालराई तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

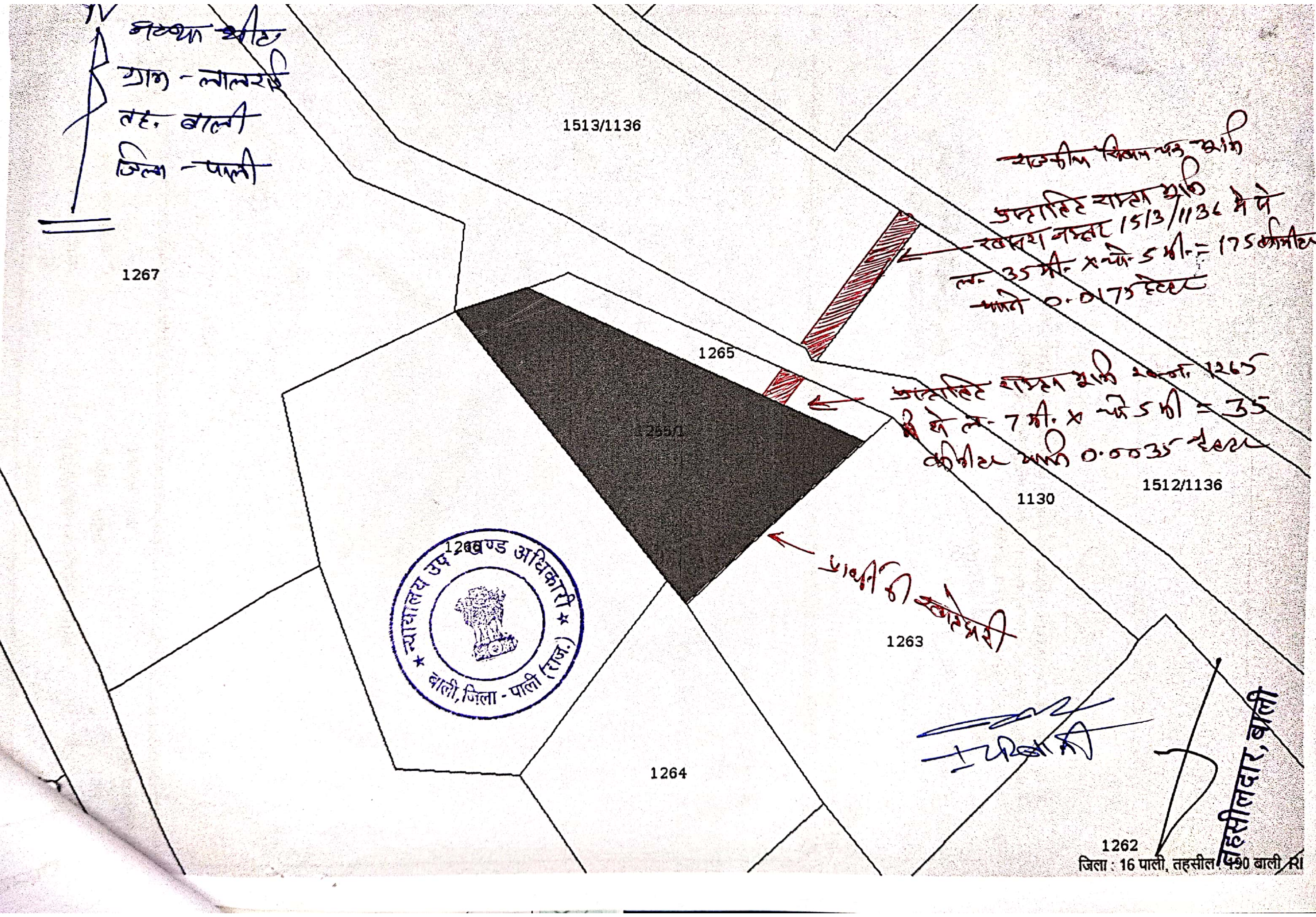

नक्शा ट्रेस
ग्राम - लालराई
तह. बाली
जिला - पाली
1513/1136
1267
1265
1255/1
1266
1130
1512/1136
1263
1264
1262
खसरा नम्बर 1513/1136 में से
ल. 35 मी. x चौ. 5 मी. = 175 वर्गमीटर
यानि 0.0175 हेक्टेयर
ल. 7 मी. x चौ. 5 मी. = 35
वर्गमीटर यानि 0.0035 हेक्टेयर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)
तहसीलदार, बाली
जिला : 16 पाली, तहसील: 490 बाली, Ri